ा. फार्मा में बिना अनुमति एडमिशन, अब नहीं हो रहा रजिस्ट्

ीटीयू और फार्मेसी कॉलेजों की मिलीभगत से सैकड़ों छात्रों के भविष्य पर मंडरा रहा खतरा, उप्र फार्मेसी काउंसिल ने रजिस्ट्रेशन से किया

वाददाता, लखनऊ

त प्रदेश के कई जिलों से बी के सैकड़ों स्टूडेंट्स भटकने । कारण, कोर्स पूरा करने के न के लिए पहुंचे स्टूडेंट्स के ही उप्र फार्मेसी काउंसिल ने कर दिया। कहा जा रहा है कि ने जिन कॉलेज में दाखिला न्हें फार्मेसी कॉउंसिल ऑफ प्रूवल ही नहीं है। आरोप है ने यूपीटीयू के तत्कालीन की मिलीभगत से पहले बिना ले लिए और बाद में स्टूडेंट्स ॉलेजों में शिफ्ट कर दिया गया था। अभी तक ऐसे 60 से ज्यादा स्टूडेंट्स सामने आ चुके हैं। पूरे मामले की जानकारी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को भेज दी गई है।

लखनऊ स्थित चरक इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी ने वर्ष 2009 में बी फॉर्मा कोर्स में दाखिले लिए थे। कॉलेज ने एआईसीटीई से कोर्स की मान्यता लेकर यूपीटीयू से सबद्धता हासिल कर ली। इसके मुताबिक दाखिले भी कर लिए, लेकिन कोर्स को फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रवूल नहीं मिला। इसके बावजूद कोर्स शुरू हुआ और यूपीटीयू के तत्कालीन अधिकारियों ने परीक्षा भी करा दी। इसके बाद स्टूडेंट्स को यूपीटीयू की संस्तुति पर दूसरे मान्यता प्राप्त कॉलेज से संबद्ध करा दिया गया। स्टूडेंट्स ने दूसरे से लेकर चौथे साल तक की पढ़ाई दूसरे कॉलेजों में की। कोर्स पूरा होने के बाद स्टूडेंट्स सुनहरे भविष्य का सपना देख रहे थे। जबकि, यूपी फार्मेसी काउंसिल ने पहले वर्ष के दाखिले ही अवैध करार देते हुए पंजीकरण से इनकार कर दिया।

उलझन में स्टूडेंट्स

राजधानी स्थित चरक इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी समेत प्रदेश के कई ऐसे कॉलेजों के स्टूडेंट्स परेशान हैं। आरोप है कि यूपीटीयू अधिकारियों की मिलीभगत के चलते उनका करियर चौपट होने के कगार पर है। सूत्रों के मुताबिक प्रदेश के दर्जनों कॉलेज के सैकड़ों छात्र कोर्स कर चुके हैं लेकिन उनका पंजीकरण नहीं किया जा सकता।

सेंट्रल काउंसिल को भेजी रिपोर्ट

उप्र फार्मेसी काउंसिल के पास लगातार ऐसे स्टूडेंट्स आ हैं। इन मामलों की रिपोर्ट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के पास भेज दी गई है। वहीं, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट मिलने के बाद यूपीटीयू या संबंधित कॉलेज के प्रतिनिधियों को पेश होने को कहा था। बावजूद इसके न तो यूपीटीयू से कोई गया और न ही कॉलेजों ने कोई दिलचस्पी दिखायी। ऐसे में खुद को ठगा महसूस कर रहे स्टूडेंट्स अब कोर्ट जाने की तैयारी में हैं।

इन कॉलेजों पर सवाल

- चरक इंस्टिट्यूट ऑफ फॉर्मेसी
- फाइन ऑर्ट कॉलेज ऑफ फॉर्मेसी
- सूर्या कॉलेज ऑफ फॉर्मेसी

हमारे पास आए दिन ऐसे छात्र पंजीकरण के लिए आ रहे हैं जिन्होंने दो कॉलेजों से पढ़ाई की है। जांच में पता चला कि पहले कॉलेज में एडमिशन ही सही नहीं था। ऐसे में दूसरे कॉलेज से मिली डिग्री भी सवालों के घेरे में है। अब यूपीटीयू या संबंधित कॉलेजों को फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से संपर्क कर कोई रास्ता निकालना चाहिए। हम इन छात्रों का पंजीकरण नहीं कर सकते।

केके सचान, रजिस्ट्रार, उप्र फार्मेसी काउंसिल